उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की व्यक्तिगत उद्यमियों को बैंकों से वित्त पोषण उपलब्ध कराने की "मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना"

1. उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गॉव में ही उपलब्ध कराने के ध्येय से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के **व्यक्तिगत उद्यमियों को रु 10.00 लाख तक** की वित्तीय सहायता बैंकों के माध्यम से दिलाया जाना है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु **4 प्रतिशत** से अधिक, शेष ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी तथा **आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनुसूचित जाति, अनु जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिलायें एवं भूतपूर्व सैनिक) को जिला योजना के अन्तर्गत ब्याज की पूर्ण धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।** व्यवसायिक बैंको तथा ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके सेवा क्षेत्र में सम्बन्धित गॉव या ग्रामीण क्षेत्र स्थित हो, नियमानुसार ऋण उपलब्ध कराया जायेगा जनपदों में योजनाधिकारी के सीधे नियंत्रण में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा क्रियान्वित की जायेगी।

2. योजना की अवधि

यह योजना इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से **अगले 5 वर्षों** तक लागू रहेगी।

3. कार्यक्षेत्र

उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम के उपबन्धों के अधीन समय–समय पर शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र परिभाषित तथा अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग आयोग/रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा समय–समय पर परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र।

4. पात्र उद्यमी

इस योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित वरीयता क्रम में उद्यमियों को लाभान्वित किया जायेगा।

1. आई0टी0आई0 व पालीटेक्निक संस्थाओं से तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार नवयुवकों को योजना में प्राथमिकता दी जायेगी।
2. शिक्षित बेरोजगार नवयुवक जिनकी सरकारी सेवा की आयु समाप्त हो गयी हो।
3. एस0जी0एस0वाई0 तथा शासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थी
4. परम्परागत कारीगर।
5. स्वतः रोजगार में रूचि रखने वाली महिलाएं।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

6. व्यवसायिक शिक्षा (10+2) के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी।
7. इस योजना के अन्तर्गत उन अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जा सकता है, जिन्होंने रोजगार हेतु सेवायोजन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित जिलों के सेवा योजना कार्यालय में करा रखा है।

5. लाभार्थियों का चयन

1. लाभार्थियों का चयन उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/शासन द्वारा समय–समय पर गठित चयन समिति द्वारा या जिले स्तर पर अन्य राज्य पुरोनिधानित योजना/योजनाओं हेतु जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/परगना अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा चयनित उद्यमी ही इस योजना के पात्र हो सकते हैं। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उद्यमी को ऋण लेने से पूर्व वांछित प्रशिक्षण प्राप्त हो और उसके पास स्वयं का अंशदान उपलब्ध हो, तथा यह मूल रूप से ग्राम का निवासी हो, अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अपना उद्योग लगाना चाहता हो।

6. लाभार्थियों के चयन के मापदण्ड

1. लाभार्थियों की आयु **18 वर्ष कम नही, तथा 50 वर्ष** से अधिक न हो।
2. 50 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ी जाति के लाभार्थी।
3. स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता का आंकलन करके चयनित व्यक्तियों के लिये ग्रामोद्योग इकाई निर्धारित की जायेगी।
4. स्थानीय उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के उपादान की इकाईयॉ स्थापित करने में वरीयता दी जायेगी।

7. ऋण सीमा

इस योजना के अन्तर्गत सभी पात्र उद्यमियों को सावधि ऋण/कार्यशील पूंजी सम्मिलित करते हुए **रु0 10.00 लाख तक** के बैंक ऋण पर ब्याज उपादान देय होगा। सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा **प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत अंशदान** तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला/विकलांग/अल्पसंख्यक/ भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उद्यमियों को प्रोजेक्ट लागत का **पॉच प्रतिशत अंशदान** स्वयं वहन करना होगा।

8. जमानत/अंशदान/प्रतिभूति एवं मार्जिन मनी

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार मार्जिन मनी/जमानत व प्रतिभूति की शर्त अनुमन्य होगी। **जमानत की राशि रु0 5.00 लाख के ऋण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बंधकमुक्त हैं।**

9. पुनर्वित्त

इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित की गयी योजनाओं जिसमें सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी दोनों मदों हेतु बैंकों द्वारा ऋण दिये जायेंगे, पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक व लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा पुनर्वित्त दिया जायेगा जिसकी सूचना समय–समय पर इनके द्वारा बैंक को भी प्रेषित की जायेगी।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

10. ब्याज उपादान पात्रता प्रमाण–पत्र

इस योजना के अन्तर्गत बैंक ऋण स्वीकृति पर ब्याज उपादान दिये जाने हेतु पात्रता प्रमाण पत्र जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा तथा

नवीनीकरण भी सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा। प्रमाण पत्र का प्रारूप **परिशिष्ट "क"** पर संलग्न है।

11. ब्याज उपादान दावों का भुगतान

यह योजना उ0प्र0 शासन द्वारा संशोधित की जा रही है, (जिसके लिये ब्याज उपादान का प्राविधान वर्ष 1994–95 हेतु जिला योजना आवंटित कोड संख्या 2851–40100 द्वारा किया गया तथा संशोधित योजना हेतु यथावत लागू रहेगा।) कालान्तर में निर्धारित कोड संख्या के अन्तर्गत बजट का प्राविधान कर इसको स्थायित्व दिया जायेगा। जिला योजना में उपलब्ध उक्त धनराशि सम्बन्धित खाते से आहरित कर भारतीय स्टेट बैंक की कोई भी शाखा जिले के अग्रणी बैंक की मुख्यालय पर स्थिति शाखा/योजनान्तर्गत वित्त पोषण में अधिकतम सहयोग प्रदान करने वाली बैंक शाखा में रखा जायेगा, जिसमें आहरण/परिचालन का अधिकारी, सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी/प्रबन्धक (ग्रामोद्योग) को प्राविधानित किया जायेगा। उक्त धनराशियों में से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप पर बैंक की शाखा द्वारा ब्याज उपादान दावा बिल जिला ग्रामोद्योग अधिकारी नियमानुसार भुगतान करेंगे। भुगतान सम्बन्धित बैंक शाखा को किया जायेगा। भुगतान चेक/बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण इकाईवार/उद्योगवार एक रजिस्टर पर तैयार करेंगे जिसकी सूचना प्रत्येक माह निर्धारित रूप–पत्रों पर मुख्यालय को प्रेषित करेंगे जिसका अनुश्रवण मुख्यालय के "मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना" अनुभाग द्वारा किया जायेगा इस सम्बन्ध में निम्न प्रकार की कार्यवाही की जायेगी।

1. जिला योजना के अन्तर्गत आवंटित कोड संख्या 2851–4010 के अन्तर्गत जिला ग्रामोघोग अधिकारी जिला ऋण योजना में आवंटन/मांग की गयी बैंक ऋण राशि के दसवें हिस्से के बाराबर की धनराशि की मांग प्रस्तुत करेंगे।

   नोटः– यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि जिला ऋण योजना में मांग की जाने वाली धनराशि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित इकाईयों व गत वर्ष में कार्यरत इकाईयों की धनराशि भी शामिल की जायेगी।

2. जिला योजना में आवंटित धनराशि, सम्बन्धित जिला के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आहरित कर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी/प्रबन्धक (ग्रामोद्योग) को उपलब्ध करायी जायेगी जिसे जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मूल योजना के प्रस्तर–11 में लिखित बैंक/बैंकों में शीर्षक **"मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना"** उपादान धनराशि वर्ष ....अन्तर्गत खाता खोलकर जमा करायेंगे जिसकी सूचना मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।

3. उक्त खाता से चेक/ड्राफ्ट जिले के विभिन्न बैंकों के सम्बन्धित बैंको की शाखा द्वारा निर्धारित प्रारूप **परिशिष्ट 'ख' एवं 'ग'** के अनुसार प्राप्त होने पर भुगतान हेतु चेक/ड्राफ्ट जिला ग्रामोद्योग अधिकारी जारी करेंगे तथा सभी लेन–देन का लेखा–जोखा एक रजिस्टर पर अंकित करेंगे। प्रत्येक कलेण्डर माह पर उक्त रजिस्टर का पूर्ण विवरण (बैंक

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

खाते का मिलान) मुख्यालय के **"मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना"** अनुभाग को प्रेषित किया जायेगा।

12—सम्बन्धित उद्योगः—

इस योजना के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई, सम्प्रति, आयुक्त, खादी एवं ग्रामोद्योग, भारत सरकार, मुम्बई द्वारा समय—समय पर चिन्हित उद्योग एवं सेवा गतिविधियों से सम्बन्धित नाबार्ड द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट स्थानीय उपायुक्त के अनुरूप ग्रामोद्योग इकाईयों के प्रोजेक्ट दिये जायेंगे **जो 10.00 लाख रु0 तक की लागत के होंगे।** वर्तमान में चिन्हित उद्योगों/सेवा गतिविधियों की सूची **परिशिष्ट 'घ'** पर संलग्न है।

13— ऋण वितरण—ब्याज उपादान सम्बन्धी प्रकिया

1. योजना के **प्रस्तर 4** के अन्तर्गत वर्णित पात्र उद्यमियों के ऋण प्रार्थना—पत्र विभिन्न संस्थाओं/उद्यमियों के व्यक्तिगत सम्पर्क/विभिन्न राजकीय विभागों व स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति द्वारा समय—समय पर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जायेगा। ऋण प्रार्थना पत्र यथा सम्भव बैंकों द्वारा निर्धारित प्रार्थना—पत्र पर लिये जायेंगे। यदि प्रार्थना—पत्र मिलने में असुविधा होती है तो बोर्ड द्वारा व्यक्तिगत उद्यमियों के प्रार्थना पत्र प्रयोग में लाये जा सकते हैं, जिनसे बाद में बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।
2. इस प्रकार प्राप्त उक्त प्रार्थना पत्रों की सूची जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा एक रजिस्टर में अंकित करने के बाद चयन हेतु गठित समिति के सभी सदस्यों को उपलब्ध करायी जायेगी तथा चयन समिति की बैठक में चयनित उद्यमियों को ऋण प्रार्थना पत्र उद्यमियों द्वारा प्रस्तावित बैंक शाखा में पत्र द्वारा प्रेषित किये जायेंगे।
3. उद्यमियों के चयन मापदण्ड हेतु योजना के प्रस्तर 4, 5 व 6 में निहित निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है।
4. सम्बन्धित बैंक के शाखा प्रबन्धक, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा प्रेषित प्रार्थना—पत्रों को शाखा के रजिस्टर में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना शीर्षक के अन्तर्गत करेंगे और ऋण स्वीकृति सम्बन्धी अन्य आवश्यक कार्यवाही/औपचारिकताएं रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित समय—सारिणी के अनुसार (अधिकतम 06 सप्ताह के अन्दर) प्रार्थना—पत्रों का निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।
5. ऋण स्वीकृति की सूचना बैंक शाखा द्वारा सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी व उद्यमियों को बैंक द्वारा दी जायेगी।
6. यदि किसी प्रार्थना—पत्र को शाखा द्वारा अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसकी विस्तृत जानकारी सहित सूचना अपने बैंक के नियंत्रण अधिकारी को शाखा द्वारा दी जायेगी।
7. शाखा से प्राप्त इस प्रकार के प्रार्थना—पत्रों का परीक्षण बैंक के नियंत्रण अधिकारी द्वारा करने के पश्चात् यदि प्रार्थना—पत्र निरस्त किया जाता है तो समुचित कारणों के साथ जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को प्रार्थना—पत्र नियंत्रण अधिकारी/शाखा प्रबंधक द्वारा प्रेषित किया जायेगा। किसी प्रार्थना—पत्र के निरस्त करने का

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

अधिकार बैंक से सम्बन्धित शाखा के नियंत्रक अधिकारी में निहित होगा। बैंक की शाखाएं प्रत्येक प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में निरस्त/स्वीकृति का रिकार्ड रजिस्टर में रखेंगे।

8. स्वीकृत प्रार्थना–पत्रों की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बैंक द्वारा ऋण वितरित किया जायेगा तथा प्रोजेक्ट पूरा होने/पूर्ण ऋण वितरित होने के बाद बैंक शाखा द्वारा इसकी सूचना जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को दी जायेगी।
9. उद्यमी के खाते में बैंक के नियमानसुार **छमाही ब्याज** लगाया जायेगा जिसका विवरण (बिल) **परिशिष्ट 'ख' एवं 'ग'** पर बैंक शाखा द्वारा सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को दो प्रतियों में प्रेषित किया जायेगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी से प्राप्त उक्त बिल का परीक्षण अपने स्तर से करके बिल का भुगतान **परिशिष्ट 'ख' एवं 'ग'** पर करते हुए उसकी एक प्रति व उससे सम्बन्धित धनराशि के चेक/ड्राफ्ट के साथ बैंक की शाखा को यथा शीघ्र प्रेषित कर देंगे और इसका रिकार्ड **प्रस्तर–11** में उल्लिखित रजिस्टर में अंकित करेंगे।
10. बैंक शाखा प्रबंधक उक्त खाते से सम्बन्धित भुगतान का चेक/ड्राफ्ट सम्बन्धित उद्यमी के ऋण खाते में समायोजित कर देंगे। **यह प्रकिया प्रत्येक 06 मास ब्याज** लगाने के उपरान्त की जायेगी।
11. किसी भी उद्यमी को इस योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत होने के पश्चात् ब्याज उपादान का लाभ निम्न परिस्थितियों में देय नही होगा :–

(क) यदि उद्यमी ने ऋण का दुरूपयोग किया हो।

(ख) यदि उद्यमी ने प्रोजेक्ट का कार्य पूरा नही किया और जानबूझकर चूक कर रहा हो।

(ग) यदि खाता बैंक द्वारा डिफाल्ट घोषित किया गया हो।

(घ) यदि इकाई उत्पादन/सेवा कार्य नही कर रही हो अथवा बन्द हो।

नोट–: किसी भी दैवी आपदा के कारण या असामयिक दुर्घटना के कारण यदि उद्यमी का उद्योग प्रभावित होता है तो इसका परीक्षण बैंक शाखा प्रबन्धक व जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा और उनकी संस्तुतियों के आधार पर उद्यमी को ब्याज उपादान देने के सम्बन्ध में निर्णय बोर्ड मुख्यालय द्वारा किया जायेगा।

14– अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना

यदि इकाई द्वारा कोई बड़ा आपूर्ति आदेश/निर्यात का आदेश प्राप्त होता है जिसके लिये अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है तो ऋण दाता बैंक को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी/सी0सी0लिमिट बढ़ाने पर विचार करना होगा।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

15—जागरूकता प्रशिक्षण शिविर

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को आकर्षित करने तथा ग्रामीण क्षेत्र के जन—मानस को योजना की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जागरूकता प्रशिक्षण शिविरों के ब्लाक स्तर पर आयोजन हेतु ब्याज

उपादान हेतु **शासन से स्वीकृत धनराशि का 01 प्रतिशत धनराशि का प्राविधान निहित होगा।**

16—योजना का प्रचार—प्रसार

योजना के प्रचार—प्रसार, सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग, योजना की जानकारी हेतु पम्पलेट/हेण्डबिल्स के मुद्रण, प्रिंटिंग तथा रेडियो व टी0वी0 के माध्यम से **प्रचार—प्रसार हेतु कुल ब्याज उपादान की 01 प्रतिशत धनराशि का प्राविधान निहित होगा।**

17—इकाईयों का पुर्नजीवीकरण

पूर्व में वित्तपोषित इकाईयॉ यदि किसी दैविक आपदा/असामयिक दुर्घटना के कारण अथवा अपरिहार्य कारण से रुग्ण अथवा मृत हो जाती है तो जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा कारणों का आकलन कर इकाई के पुर्नजीवीकरण पर विचार कर पुनः वित्त पोषित किये जाने का निर्णय लिया जायेगा जिसमें भी नियमानुसार ब्याज उपादान देय होगा।

18—योजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण

योजना के सफल संचालन हेतु इकाईयों के भौतिक सत्यापन, मुल्यांकन एवं योजना के संचालन में आ रही कठिनाईयों के आकलन हेतु **जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा शत—प्रतिशत, परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा 20 प्रतिशत तथा मुख्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा 5 प्रतिशत** किया जायेगा। इसके अतिरिक्त नियोजन विभाग के राज्य मूल्यांकन एवं अनुश्रवण प्रभाग द्वारा भी समय—समय पर योजना का रैण्डम मूल्यांकन कराया जायेगा, जिसके लिये ब्याज उपादान के **कुल बजट का 01 प्रतिशत बजट प्राविधान** योजना के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु निहित होगा।

19—वसूली

यदि इकाई जानबूझकर ऋण धनराशि का दुरुपयोग करती है अथवा इकाई का परियोजनानुसार स्थापना एवं संचालन नही होता है तो ऐसी दशा में बैंकों द्वारा ऋण वसूली इकाई से पूर्ण की जायेगी एवं विभाग द्वारा दी गयी सरकारी अनुदान (ब्याज उपादान) की धनराशि भी बैंकों द्वारा वसूल किया जायेगा। वसूली की गयी सरकारी अनुदान (ब्याज उपादान) धनराशि को बोर्ड मुख्यालय पर खाता खोलकर रखा जायेगा तथा पुनः आवश्यकतानुसार पूर्ण उपयोगित किया जायेगा।

बैंक द्वारा वसूली गयी धनराशि का 10 प्रतिशत अथवा ब्याज उपादान के रूप में दी गयी धनराशि जो भी कम हो वह बैंक द्वारा वसूल कर उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को दी जायेगी।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

"परिशिष्ट–क"

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

पत्रांक /खा0ग्र0बो0/मु0मं0ग्रा0रो0यो0/जि0/परि0/ग्रा0का दि0

ब्याज उपादान पात्रता प्रमाण पत्र

उद्यमी का पूरा नाम..
उद्यमी का पूरा पता..
उद्योग ....उद्देश्य..
ऋण की मात्रा.....................सावधि ऋण..का0पूंजी................................
उद्यमी ऋण हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र की धनराशि रु0...
के विपक्ष में उद्यमी को रु0 ....तक के ऋण पर वर्ष ....हेतु ब्याज उपादान प्रमाण पत्र निम्न शर्तों पर जारी किया जाता है–:

1– यद्यपि उद्यमी से प्राप्त ऋण प्रार्थना पत्र पर ऋण की स्वीकृति या निरस्तीकरण का पूर्ण अधिकार बैंक का होगा, तथापि यदि बैंक किसी प्रार्थना पत्र को निरस्त करता है तो बैंक बोर्ड के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का समुचित कारण बताएगा।

2– उद्यमी को बैंक अपनी ब्याज दर पर नियमानुसार ऋण स्वीकृत करेगा, ब्याज उपादान का भुगतान उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा किया जायेगा। **शासनादेश सं0–614/59–खा–94–31(खा)/94, दिनांक 16 जून, 2004** के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से ब्याज उद्यमी को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष ब्याज अधिकतम 10 प्रतिशत तक ब्याज की धनराशि राज्य सरकार द्वारा ब्याज उपादान के रूप में वहन किया जायेगा, जो निम्न शर्तों पर देय होगा। शेष ब्याज की धनराशि भी उद्यमी द्वारा वहन किया जायेगा। उद्यमी को ब्याज उपादान का लाभ उक्त सीमा तक ही दिया जायेगा।

3– आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनुसूचित जाति, अनु0जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलायें एवं भूतपूर्व सैनिक) को जिला योजना के अन्तर्गत ब्याज की पूर्ण धनराशि ब्याज उपादान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(1)– वह बैंक से लेन–देन करता रहेगा और खाता बैंक की सन्तुष्टि के अनुसार नियमित रूप से अपना खाता चलाता रहेगा, किसी भी दशा में जानबूझकर चूक (डिफाल्ट) किये गए खातों पर ब्याज उपादान देय नही होगा।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

जिला..........................

पत्रांक /उक्त/ तद्दिनांक–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1– शाखा प्रबन्धक..।
2– उद्यमी...।
3– उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी (मु0मं0ग्रा0रो0यो0) खादी बोर्ड, लखनऊ।
4– सम्बन्धित परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी।

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

जिला–..........................

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

"परिशिष्ट–ख"

मु0मं0ग्रा0रो0यो0 बिल (दावा फार्म)

सामान्य वर्ग हेतु

(बैंक द्वारा दो प्रतियों में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा)

बैंक का नामः–...
उद्यमी का नाम व पताः–...

सेवा में,

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी/
प्रबन्धक ग्रामोद्योग
खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
जिला

महोदय,

मु0मं0ग्रा0रो0यो0 प्रमाण पत्र सं0...........................दिनांक......................... जो कि जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, खादी बोर्ड जिला.........................द्वारा जारी किया गया है। हम सुनिश्चित करते हैं कि टर्म लोन मद में रुपये................................उपरोक्त उद्यमी को स्वीकृत किया गया है।

उक्त खाते/खातों पर ब्याज दर क्रमशः रु0..............................वार्षिक है, को स्वीकृत किया गया है।

बिल का विवरण निम्नवत् हैंः–

ऋण धनराशि		ब्याज की धनराशि बैंक की सामान्य दरों पर			उद्यमी द्वारा वहन की जाने वाली 4 प्रतिशत दर पर धनराशि	बोर्ड द्वारा भुगतान की जाने वाली अंतर धनराशि
मूल स्वी0	बकाया धन0	अवधि	दर	धन0		
कार्यशील पूंजी						
सावधि ऋण						

हम प्रमाणित करते हैं कि, ब्याज उपादान की उक्त धनराशि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से बैंक को इसके पूर्व प्राप्त नही हुई है।

अग्रिम रसीद

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ में धनराशि रु0...**मु0मं0ग्रा0रो0यो0** दिनांक....................................से दिनांक................................तक श्री.................................के पक्ष में प्राप्त किया।

उद्यमी के हस्ताक्षर व पूरा नाम **एक रु0 के रसीदी टिकट पर**

शाखा प्रबन्धक के
हस्ताक्षर (मुहर सहित) :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

“परिशिष्ट–ग”

मु0मं0ग्रा0रो0यो0 बिल (दावा फार्म)

आरक्षित वर्ग हेतु

(अनुसूचित जाति, अनु जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिलायें एवं भूतपूर्व सैनिक)

(बैंक द्वारा दो प्रतियों में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा)

बैंक का नामः–...
उद्यमी का नाम व पताः–...

सेवा में,
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी/
प्रबन्धक ग्रामोद्योग
खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
जिला

महोदय,

ब्याज उपादान/मु0मं0ग्रा0रो0यो0 प्रमाण पत्र सं0...........................दिनांक......................... जो कि जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, खादी बोर्ड जिला.........................द्वारा जारी किया गया है। हम सुनिश्चित करते हैं कि टर्म लोन मद में रुपये...............................उपरोक्त उद्यमी को स्वीकृत किया गया है।

उक्त खाते/खातों पर ब्याज दर क्रमशः रु0..............................वार्षिक है, को स्वीकृत किया गया है।

बिल का विवरण निम्नवत् हैः–

ऋण धनराशि		ब्याज की धनराशि बैंक की सामान्य दरों पर			बोर्ड द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल धनराशि
मूल स्वी0	बकाया धन0	अवधि	दर	धन0	
कार्यशील पूंजी					
सावधि ऋण					

हम प्रमाणित करते हैं कि ब्याज उपादान की उक्त धनराशि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से बैंक को इसके पूर्व प्राप्त नही हुई है।

<u>अग्रिम रसीद</u>

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ में धनराशि रु0...**मु0मं0ग्रा0रो0यो0** दिनांक.............................से दिनांक....................................तक श्री.....................................के पक्ष में प्राप्त किया।

उद्यमी के हस्ताक्षर व पूरा नाम **एक रु0 के रसीदी टिकट पर**

शाखा प्रबन्धक के
हस्ताक्षर (मुहर सहित) :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

"परिशिष्ट–घ"

नाम उद्योगः–

1. कुटीर कुम्हारी उद्योग
2. चूना पत्थर, चूना सिपी और अन्य चूना उत्पादन उद्योग
3. मन्दिरों एवं भवनों के लिये पत्थर कीक कटाई–पिसाई, नक्कासी तथा खुदाई
4. पत्थर से बनी हुई उपयोग वस्तुएं
5. स्लेट और स्लेट पेंसिल निर्माण
6. प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण
7. वर्तन धोने का पाउडर
8. जलावन के विकेट
9. सोने चांदी, पत्थर, सिपी एवं कृतिम सामग्रियों से आभूषणों का निर्माण
10. गुलाल रंगोली निर्माण
11. चूड़ी निर्माण
12. पेंट, रंजक, वार्निश औार डिस्टेम्पर निर्माण
13. कॉच के खिलौने का निर्माण
14. सजावटी शीशे की कटाइ, डिजाइनिंग, प्वालिसिंग
15. रत्न कटाई
16. हाथकागज उद्योग
17. कत्था उद्योग
18. गोंद और रेजिंग निर्माण
19. लाख निर्माण
20. कुटीर, दियासलाई उद्योग, पठाके एवं अगरबत्ती निर्माण
21. बास और बेत का कार्य
22. कागज के प्याले, तस्तरी, झोले एवं कागज के डिब्बों का निर्माण
23. कापियां जिल्दसाजी, लिफाफा निमार्ण, रजिस्टर निर्माण और कागज से बनाई जाने वाली अन्य लेखन सामग्रियॉं।
24. खस ठट्टी और झाड़ू निर्माण
25. बनोत्पादों का संग्रह प्रशोधन एवं पेंकिग
26. फोटो जड़ना
27. जूट उत्पादों का निर्माण (रेशम उद्योग के अन्तर्गत)
28. अनाज दाल, मसाजा, चटपटे मसाले आदि का प्रशोधन, पेकिंग एवं विपणन
29. ताड़गुड़ एवं अन्य ताड़ उत्पाद उद्योग
30. गन्ना गुड़ एवं बाण्डसारी निर्माण
31. मधुमक्खी पालन
32. अचार सहित फल और सब्जी का प्रशोधन परिक्षण एवं डिब्बा बंदी
33. घानी तेल उद्योग
34. नारियल जटा के अलावा रेशा
35. औषधि कार्यो के लिये जड़ी बूटियों का संग्रह
36. मकाई और रागी का प्रशोधन
37. मज्जा चटाईयों और हारों हादि का निर्माण
38. काजू प्रशोधन
39. दोना बनाना
40. नूडल बनाना
41. विद्युत चालित आटा चक्की
42. दलिया निर्माण
43. चावल से छिलका उतारने की छोटी इकाई
44. भारतीय मिष्ठान निर्माण
45. रसवन्ती गन्ना रसपान इकाई
46. मैंथा ऑयल तेल
47. दुग्ध उत्पादन निर्माण इकाई

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

48. पशु चारा, मुर्गी चारा निर्माण
49. शवच्छेदन, चर्मशोधन तथा खाल, त्वचा से सम्बन्धित अन्य सहायक उद्योग एवं कुटीर चर्म उद्योग
50. कुटीर साबुन उद्योग
51. रबड़ वस्तुओं का निर्माण (डिप्टलेटेक्स उत्पाद)
52. रैक्सीन/पी0बी0सी0 के बने उत्पाद
53. हाथी दॉत समेत सींग एवं हड्डी उत्पाद
54. मोमबत्ती, कपूर और मोहर वाली मोम का निर्माण
55. प्लास्टिक की पैकेजिंग वस्तुओं का निर्माण
56. बिंदी निर्माण
57. मेंहदी निर्माण
58. इत्र निर्माण
59. शैम्पू निर्माण
60. केश तेल निर्माण
61. डिटर्जेन्ट और धुलाई, पाउडर (आविषाक्त)
62. बढ़ई गीरी
63. लोहारी
64. अल्युमिनियम के घरेलू उत्पादन
65. गोबर और अन्य अपशिष्ट उत्पादों जैसे मृत्यु पशु के मास मल आदि से खाद और मीथेन (गोबर गैस) का उत्पादन और उपयोग
66. कागज पिन, क्लिप, सेफ्टी पेन, स्ओप पिन आदि का निर्माण
67. सजावटी बल्बो, बोतलों, ग्लासों आदि का निर्माण
68. छापा उत्पादन
69. सौर तथा पवन ऊर्जा उपकरण
70. हस्त निर्मित पीतल के बर्तनों का निर्माण
71. हस्त निर्मित तांबे के बर्तनों का निर्माण
72. हस्त निर्मित कॉसे के बर्तनों का निमार्ण
73. पीतल तांबे और कॉसे से अन्य वस्तुओं का निर्माण
74. रेडियों निर्माण
75. कैसेट प्लेयर का निर्माण चाहे वह रेडियों में लगा हो या न हो
76. कैसेट रिकार्डर का निर्माण
77. वोल्टेज स्टेपलाइजर का उत्पादन
78. इलेक्ट्रानिक घड़ियों का निर्माण
79. लकड़ी पर नक्कासी और कलात्मक फर्नीचर निर्माण
80. टीन कार्य
81. मोटर वाइन्डिंग
82. तार की जाली बनाना
83. लोहे की झंझरी (ग्रिल) निर्माण
84. ग्रामीण यातायात वाहन जैसे हाथ गाड़ी, बैल गाड़ी, छोटी नाव, दुपहिया साईकिल/साईकिल रिक्शा, मोटरयुक्त गाड़ियों आदि का निर्माण
85. संगीत साजों का निर्माण
86. केंचुआ पालन तथा कचरा निपटारा
87. पाली वस्त्र यानी यानि ऐसा वस्त्र जो भारत में मानव निर्मित रेशे की रूई, रेशम या ऊन के साथ या इसमें से किसी दो या सभी को मिलाकर हाथ से काता गाय तथा हथकरघे पर बुना गया हो या भारत में बना ऐसा वस्त्र जो हाथ कते मानव निर्मित रेशों के धागे को सूती, रेशमी या ऊनी धागे या इसमें से किसी दो धागे या सभी धागों को मिलाकर हथकरघे पर बुना गया हो।
88. लोक वस्त्र का निर्माण
89. होजरी
90. सिलाई और सिली–सिलाई पोशाक तैयार करना
91. हाथ से मछली मारने वाले नायलोन/सूती जाल तैयार करना
92. छींटकारी
93. खिलौना और गुड़ियों का निर्माण
94. कशीदाकारी
95. शल्य चिकित्सकीय पट्टी का निर्माण
96. स्टोव की बत्तियां

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

97. धागे का गोला, ऊनी गोला तथा लच्छी निर्माण
98. पारम्परिक पोशाक
99. दरी बुनाई
100. धुलाई
101. नाई
102. नलसाजी
103. बिजली की वायरिंग और घरेलू इलेक्ट्रानिक्स उपकरणों की मरम्मत
104. डीजल इंजनों, पम्पसेटों आदि की मरम्मत
105. टायर बल्कनीकरण (रिट्रीडिंग) इकाई
106. छिड़काव, कीटनाशक, पम्पसेटों आदि के लिए कृषि सेवा कार्य
107. लाउड स्पीकर, ध्वनि प्रसारक, माइक आदि ध्वनि प्रणालियों को किराये पर देना
108. बैटरी मरना
109. कलाफलक चित्रकारी
110. साइकिल मरम्मत की दुकानें
111. राजगीर
112. ढाबा (शराब रहित)
113. चाय की दुकान
114. चिकन इम्ब्रायडरी
115. बैण्ड मण्डली
116. आयोडीन युक्त नमक

*** उक्त के अतिरिक्त नाबार्ड द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट भी शामिल है।**

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

SCHEDULE

SCHEME FOR PROVIDING FINANCIAL ASSISTANCE TO INDIVIDUAL ENTREPRENEURS BY COMMERCIAL BANKS AND REGIONAL RURAL BANKS UNDER 'CHIEF MINISTER VILLAGE INDUSTRIES EMPLOYMENT SCHEME' OF U.P. KHADI AND VILLAGE INDUSTRY BOARD:

1- OBJECTIVE

With a view to discourage the migration of rural educated youth to the urban areas and to solve the problem of unemployment rappidley increasing the captioned scheme has been formulated to provide financial assistance to the rural individual entrepreneurs to the tune of Rs. 10-00 lacs by the Banks, under this scheme over and above rate of interest of @ 4%, which is subject to 10% will be borne as the Interest Subsidy for general candidates and for reserved categories (SC/ST,OBC,Women,ex-serviceman,PH/VH) rate of interest will be fully exempted and borned by the government of U.P. as interest subsidy. The commercial banks and Regional Rural Banks under which service area approach the villages or rural areas fall will provide bank loan as per rules. In Districts, the scheme will be implemented by Khadi & Village Industry board under direct control of District Magistrate.

2- PERIOD OF SCHEME

This scheme will remain in operation for a period of five years from the date of issue of notification as state sponsored scheme.

3- AREA OF OPERATION

Rural areas as defined under the U.P. Panchayat Raj Adhiniyam by the State Govt. and rural areas as defined by Khadi Village Industries commission/Reserve Bank of India from time to time.

4- ELIGIBLE ENTREPRENEURS

Under this scheme entrepreneurs will be benefited mainly on the following merits :-

[1] Preference will be given to the candidates trained by Industrial Training Institute/Ploytechnic.
[2] Educated unemployed youth whose age for Govt. service has expired.
[3] A candidate trained under TRYSEM and any other Govt. scheme.
[4] Traditional artisan
[5] Women interested in self employment.
[6] Candidate passed commercial education [10+2 with village industry as a subject.]
[7] Who has registered himself in Employment Exchange of the concerned district.

--2/

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

5- IDENTIFICATION OF BENEFICIARY

The District Level Committee, headed by DM/CDO/SDM as constituted for other State Sponsored Schemes will identify the borrowers or by the committee as constituted by U.P. Khadi Village Industry Board. Before sanctioning loan, it is to be ensured that the borrowers have acquired training and should be the bonafide resident of the village & permanently residing there. He should have required margin money for establishment of unit.

6- ELIGIBILITY CRITERIA FOR SELECTION

1- Borrowers should not be below the age of 18 years and not more than 50 years.
2- 50% of the borrowers should be from SC/ST /O.B.C. category.
3- Gramodyog units should be identified based upon the availability of raw materials locally for identified beneficiaries.
4- Preferences will be given to such units which would be engaged in production of commodities to meet out the daily necessities of local cousumers.

7- QUANTOM OF LOAN

Under the scheme in first phase the eligible beneficiary will get interest subsidy for the loan upto Rs.10.00 lakhs for Term Loan/Working Capital. Self contribution of the Bank Loan for general category will be 10% and for SC/ST/Women/PH/OBC/Ex-serviceman 5% of the total project cost.

8- MARGIN MONEY/SECURITY AND GUARANTEE

Margin money/Security and guarantee will be taken as according to the guidelines issued by Reserve Band Of India time to time.Up to Rs. 5.00 lacs loan gurantee is exempted by the Reserve Bank of India.

9- REFINANCE

Under the scheme refinance will be made available by SIDBI/NABARD.

10- INTEREST SUBSIDY ELIGIBILITY CERTIFICATES

After sanction of the loan, District Village Industry Officer will issue Interest Subsidy eligibility certificate and will renew it on a prescribed format [Annexure-A]

--3/

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

11- PAYMENT OF INTEREST SUBSIDY CLAIMS

This scheme is being sponsored by U.P. Govt., for which a provision will be made in Distt. Plan for the year 1994-95 under the Code No. 2851-40100 and the head will be continued code no. for the successive years. Lateron available money under the prescribed code will be kept in any branch of SBI/Sponsor Bank/Major implementing Banks and these accounts will be operated by Khadi & Village Industries Officer/Manager, (Gramodyog.) The concerning branch will file KVIB & DVIO will make payment after scrutiny to the branch through cheque/Draft. DVIO will prepare full particulars unitwise/Industrywise in a register a will supply the same to U.P. Khadi Village Industry Board had office every month and it will be monitored by Bank finance Section of KVIB. That will be followed by :

1- District Village Industry Officer will place demand for 1/10 part of total bank loan as allotted in District Credit Plan.

NOTE:- It is also necessary to clarify that the amount so demanded under District Credit Plan will also include the amount eligible for last year's working units as will as for current year.

2- The amount so allotted in District Credit Plan will be drawn by CDO & will be made available to DVIO/Manager, Village Industry who will deposit the same according to para 11- under the head "Mukhya Mantri Gramodyog Rojgaar Yojna" Intrest subsidy amount for year by opening an account in the bank.

3- when the Branch Manager will claim the amount, payment will be made through cheque of draft by DVIO to the concerned bank branches and will record these entries in a register and the full details will be sent to the head office monthly.

12- RELATED INDUSTRY

In this scheme, industries as identified time to time by KVIC. Mumbai/Commissioner, Khadi & Village Industsries, Govt. of India and projects pertaining to service actvities opprated by NABARD according to local availability will be taken for financing with the cast up to Rs. 10.00 lakhs. At present list of identified industries/Service activities is encloseds to annexure 'D'.

13- LOAN DISBURSEMENT INTEREST SUBSIBY REDATED PROCESS

(1) The district Village Industry Officer will collect the applications through personal contest with various institutions/ entrepreneurs/different Govt. Deptts. or through press release. The applications will be collected on a format as prescribed by Bank as possible. If application forms are not available easily, then the Board may use individual entrepreneurs application form, lateron the aplplication may be obtained on bank's form.

--4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(2) Thus the list of applications received by the District Village Industry Officer will be incorporated in a register and then made available to the all members of the constituted selection committee. In the meeting of selection committee selected application form will be sent to selected bank branches proposed by the entrepreneur.

(3) For identification of the entrepreneurs directives given in para 4, 5 & 6 will be followed.

(4) Concerned bank officer will incorporate the applications sent by the District Village Industry Officer in a register under the head of “Mukhya Mantri Gramodyog Rojgar Yojna” and will ensure the completion of sanction of loan and other formalities as time to time schedule fixed by RBI {Maximum 6 weeks} for the disposal of applications.

(5) The Branch Manager will give the information of sanction of loan to the District Village Industry Officer and to the beneficiary.

(6) If any application is to be rejected by the bank, the branch manager will inform its controlling officer with detailed information.

(7) The controlling officer of the branch will exmine such applications and if the application is rejected, the District Village Industry Officer will be informed alongewith sufficient cause of rejection by the controlling officer/branch manager. The power of rejection of application will be vested with the controlling officer of the branch. Bank branch will keep the record of rejection and sanction of each and every application.

(8) The loan amount will be disbursed by the banks after completion of sanction formalities and Bank branch will intimate the District Gramodyog Officer about the completion of present/loan disbursement.

(9) The interest will be charged in the account of entrepreneurs on six monthly basis according to rules, the details of bill will be submitted in due/copy to the District Village Industry Officer by the bank branch concerned on Annexure-B and C. After scrutiny of the bill the District Village Industry Officer will make payment to the branch through cheque/draft and will incorporate it in the register mentioned in para-11.

(10) Bank branch will adjust the cheque/draft in the account of entrepreneurs account. This process will be followed in every quarter/Half yearly after calculation of interest.

(11) The benefit of interest subsidy will not be given to the entrepreneurs under following conditions:
   (a) If loan has been misutilised by the entrepreneur.
   (b) If the entrepreneur has not completed the project and willingly commit mistake.
   (c) If the account is declared default by the bank.

--5/

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(d) If the unit is not making any production/service or closed.

NOTE :- If the Industry is affected due to natural calamity or any accident the branch manager and District Village Industry Officer will conduct joint survey and on their recommendations the Head Office of the Board will decide about the providing of interest subsidy to the entrepreneur.

14-ADDITIONAL WORKING CAPITAL-:

If any unit is getting any large supply order or order for export and to fullfil this it needs additional working capital, in that case the bank will be considering to increase additional working capital/C.C.limit.

15-AWARENESS TRANING CAMP

To attract the beneficiaries towards the Mukhyamantri Gramodyog Rojgar yojna and with the objective to provide information about the scheme in the rural areas to the public, 01 percent of the interest subsidy amount sanctiond by the Government will be available and allocated for organizing awareness training camp.

16-PUBLICITY

For publicity of the scheme, putting hordings of the public places, printing of the phamphlates/handbills, advertising from radio and television etc. 01 percent of the interest subsidy amounts approved by the Government will be used for the publicity of the scheme.

17-RENOVATION REVIVAL OF UNITS

Any unit established and financed earlier had been defunct or dead die to any natural disaster/ untimely accident or by any unavioidable reasons, then by the committee established at district level will trying to find out the causes and to renovate or revive the unit further decision regarding refinanceing to the unit will be considered and Interest subsidy will also be admisable as per the rules.

18- MONITORING AND EVLUATION OF SCHEME

For successful running of the scheme and to judge the difficuluties faced by the units, hundred percent physical verification of the units will be done by the D.V.I.O., 20 percent by the Regional officers and 5 percent by the head quarter officials. Dispite this state monitoring and evaluation cell of Planning Department will also condut random survey and evaluation of the scheme from time-to-time. For monitoring and evaluation of the scheme, 01 percent of the total interest subsidy's budget will be allocated and utilised.

-6-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

19-RELISATION

If any unit missutilised the loan amount knowingly or as per the project of the unit, nither establishing nor and running successfully, in that conditions the whole amount of loan will be realize by the bank from the unit including the interest subsidy amount given by the Government. Realised amount of the interest subsidy will be kept on U.P.K.V.I.B. Head Office by opening an account and later re-utilised fully as per the requirement in this perview.10 percent of the amount realized by the bank or the amount of interest subsidy which ever is less will be given by the bank to the U.P. Khadi & Village Industries of Board.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ANNEXURE-A

M.M.G.R.Y.

INTEREST SUBSIDY ELIGIBILETY CERTIFICATE

No………………………………/KB/Bank/V/D/ Dated…………………..
Full name of entrepreneur:
Full address of entrepreneur :
Industry………………Purpose………………………………………………………...
Quantum of loan---------------------Term loan----------------------------working acpital
The amount of bank loan as required by entrepreneur Rs---------------------------------
Against which one interest subsidy cedrtificate is issued to the entrepreneur upto the loan of Rs ---------------------for the year ---------------------------------------under the following conditions:-

1- Though the bank will have full right to sanction or reject the loan application received from the entrepreneur. Yet if the bank rejects any application, it explains the sufficient reason of rejection to the Disstt. Village Industeies Officer of the Board.
2. Bank will sanction loans to the entrepreneur as per rules, the interest subsidy will be paid by the Distt. DVIO of U.P. Khadi and Village Industry Board. The entrepreneur will bear the interest at the rate of 4 % and remaining rate of interest, subject to a maximum of 10% will be borne by the State Govt. in the form of interest subsidy/ as per G.O.No.614/59-Kha-94-31(Kh)/94 dated 16.6.94 which is admissigle as per following conditions. Remaining interest amount will be borne by the entrepreneur.
3– For the beneficiories of the reserved categories(schedule caste,schedule tribe,OBC,PH minority,womens and ex-servicemen) will be given the whole amount of interest in the form of interest subsidy under the scheme.

1. He as the business with the bank and the account is being orerated as per satisfaction of the bank. The willful defaulter will not get interest subsidy in any condition.

District………………….
Division : ………………………..

No…………………………………/bove/ of dated.

Copy of the above is forwarded for information and necessary action to-:

1- Branch Manager…………………………………………….
2- Entrepreneur…………………………………………………
3- Dy. Chief Executive Officer (MMGRY) Khadi Board, Lucknow.
4- Concerned Zonal Village Industry Officers……………………………..

District………………….

Division : ………………………...

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ANNAEXURE-B

M.M.G.R.Y.

For General Candidates

(form will be submitted in two copies to the District Village Industries Officer by the Bank)
INTEREST SUBSIDY BILL (CLAIM FORM)

Name of the Bank :……………………………………………..
Name & Address of Entrepreneur: ………………………………………

To,

The District Gramodyog Officer/
Manager Gramodyog
Khadi and Gramodyog
District-

Sir,

Interest subsidy/M.M.G.R.Y. certificate No………date………which has been issued by District Gramodyog Officer Khadi Board/Dy. Chief Executive Officer, Project /Gromokyog Office, District………………..we ensre that the term loan of Rs. …………………..has been sanctioned to the above Entrepreneur.

The interest rate Rs. ……………and Rs. ……………annually has been sanctioned respectively on the above accounts.

The details of Bill are as under:-

Loan Amount		Interest Amount to Bank on General rate			Amount to be borne by the entrepreneurs up to 4%	grant total of the amount above 4% to be paid by the Board
Principle sacnctioned	Balance outstanding	period	Rate	Amount		
working capital						
Term Loan						

We certify that the above amount of interest subsidy has not been receive before from the Khadi Gramodyog Board/Bank.

Advance Receipt

An amount of Rs………………from dated……………to date………………...is received in favour of Sri………………………………in the Khadi Gramodyog Board, Lucknow

On the revenue receipt of
Valued Rs. one.

Signature and full name………………………..
of the Entrepreneur. ………………………….

signature :-of Branch Manager
(Seel)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ANNAEXURE-C

M.M.G.R.Y.

For Reserved Categories
(SC/ST/OBC/Women/Ex-serviceman/PH etc.)

(form will be submitted in two copies to the District Village Industries Officer by the Bank)
INTEREST SUBSIDY BILL (CLAIM FORM

Name of the Bank :…………………………………………..
Name & Address of Entrepreneur: ……………………………………….

To,

The District Gramodyog Officer/
Manager Gramodyog
Khadi and Gramodyog
District-

Sir,

Interest subsidy/M.M.G.R.Y. certificate No………date………which has been issued by District Gramodyog Officer Khadi Board Dy. Chief Executive Officer, Project /Gromokyog Office, District………………..we ensre that the term loan of Rs. …………………..has been sanctioned to the above Entrepreneur.

The interest rate Rs. ……………and Rs. ……………annually has been sanctioned respectively on the above accounts.

The details of Bill are as under:-

Loan Amount		Interest Amount to Bank on General rate			Amount to be borne by the board
Principle sacnctioned	Balance outstanding	period	Rate	Amount	
working capital					
Term Loan					

We certify that the above amount of interest subsidy has not been receive before from the Khadi Gramodyog Board/Bank.

Advance Receipt

An amount of Rs………………..from dated……… ….to date……….……....is received in favour of Sri in the Khadi Gramodyog Board, Lucknow

On the revenue receipt of
Valued Rs. one.

Signature and full name………………………..
of the Entrepreneur. ………………………….

signature :-of Branch Manager
(Seel)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ANNAEXURE-D

1- Cottage Pottery Industry
2- Lime stone, Lime shell and other lime products industry.
3- Stone cutting, crushing, carving and engraving for Temple & Buildings.
4- Utility artictle made out of stone.
5- Slate and slate pencil making.
6- Manufacture of plaster of paris.
7- Utensil washing powder.
8- Fuel briquetting.
9- Jewellery out of Gold, Silver, Stone, shell and synthetic, materials.
10- Manufacture of Gulal, Rangoli.
11- Manufacture of Bangles.
12- Manufacture of Paints. Pigments, Varnishes & distemper.
13- Manufacture of Glass Toys.
14- Glass Decoration-cutting, designing & palishing.
15- Gem cutting.
16- Handmade paper.
17- Manufacture of katha.
18- Manufacture of gums and Resins.
19- Manufacture of shellac.
20- Cottage Match Industry, manufacture of fire work and Agarbattis.
21- Bamboo and Cane work.
22- Manufacture of paper sups, plates, bags and other paper containers.
23- Manufacture of exercise book bionding, enevelope making, register making, including all other stationary items made out of paper.
24- Khus tattis and broom making.
25- Collection, processing and packing of forest products.
26- Photo framing.
27- Manufacture of Jute products (Under fibre industry).
28- Processing, packing and marketings of cereals, pulses. spices, condiments, masala ctc.
29- Plamgur making and other palm products industry.
30- Manufacture of Cane Crur and Khandsari.
31- Bee keeping.
32- Fruits and Vegetable processing, preservation & canning including pickles.
33- Ghani oil industry.
34- Fibre other than coir.
35- Collection of forest plants and fruits for medicinal purpose.
36- Processing of maize an ragi.
37- Pith work. manufacture pith mats and garlands etc.
38- Cashew processing.
39- Leaf cup making.
40- Noodles making.
41- Power atta chakki.
42- Dalliya making.
43- Mini rice shelling unit.
44- Indian sweets making.
45- Raswanti-sugarcane juice catering unit.
46- Menthal oil.
47- Milk Product making unit.
48- Cattle feed, poultry feed making.
49- Flaying, curing and tanning of hides and skins and ancillary industries-connected with the same and cottage leather industry.
50- Cattage soap industry.
51- Manufacture of Rubbergoods (dipped latex products)
52- Products out of Rexin, Pvc etc.
53- Horn and Bone including Ivory products.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

54- Candle, Comphor and sealing wax making.
55- Manufacture of packing items of plastics.
56- Manufacture of Bindi.
57- Manufacture of mehandi.
58- Manufacture of Esential oel.
59- Manufacture of shampoos.
60- Manufacture of hair oil.
61- Detergents and washing powder making (non-toxic).
62- Carpentry.
63- Blacksmithy.
64- Manufacture of Household aluminium.
65- Manufacture and use of manure and methane (Gobar) Gas from cow dung and other waste products such as flesh of dead animals, night soils etc.
66- Manufacture of paper pains, clips, safety pins, stove pin etc.
67- Manufacture of decorative bulbs, battles glass etc.
68- Umbrella assembling.
69- Solar and wind energy implements.
70- Manufactrure of Handmade utensils out of Brass.
71- Manufacture of Handmade utensils out of Copper.
72- Manufacture of Handmade utensils out of Bell metal.
73- Other articles made out of Brass, Copper & Bell metal.
74- Production of Radios.
75- Production of cassette player whether or not fitted with radios.
76- Production of cassette recorder.
77- Production of Voltage Stablizer.
78- Manufacture of electronic clocks.
79- Carved wood and artistic furniture making.
80- Tin smithy.
81- Motor Vinding.
82- Wire net making.
83- Iron grill making.
84- Manufacture of Rural Transport vehicles such as hand carts. bullock cart, small boats, assembly of bicycles, cycle rickshaw, motorized carts etc.
85- Manufacture of musical instruments.
86- Vermiculture and waste disposal.
87- Ployvastra which means any cloth woven on handloom in India from yarn handspun in India from mixture of man made fibre with either cotton, silk or wool or with any twoor all of them or from a mixture of man made fibre yarn handspun in India with either cotton, silk or woolen yearn and handsupun in India or with any two or all of such yarn.
88- Manufacture of Lok Vastra cloth.
89- Hosiry.
90- Tailoring and preparation of Radymade Garments.
91- Net of Cotton or Nylon.
92- Batick works.
93- Toys and Boll making.
94- Embroidery.
95- Manufacture of surgical bandage.
96- Stove wicks.
97- Thread Balls and Woollen Balling, Lacchi making.
98- Traditional dressis.
99- Carpet weaving.
100- Barbar.
101- Plumbing.
102- Servicing ofelectrict wiring and electronics domestic appliances and equipments.
103- Repairs of diesel engines, pumpsets etc.
104- Tyre vulcanizing unit.
105- Agriculture servicing for sprayers, insecticide, pumpsets etc.
106- Hiring of sound system like loud-speaker, amplifier mikes etc.
107- Battery charging.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

108- Art Board painting.
109- Cycle repair shops.
110- Masonry.
111- Dhabas [Not Serving Lequor]
112- Tea Stall.
113- Chicken Emboroiodary.
114- Band troupe.
115- Iodised Salt.
116- Laundry

*** NABARD approved projects are also included.**

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

1. मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनाः–

ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती हुई बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों का शहरों की ओर पलायन को रोकने को दृष्टिगत रखते हुए गांवों में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उ0प्र0 शासन द्वारा जिला सेक्टर योजना के अन्तर्गत पूंजीनिवेश कर ग्रामोद्योगिक के इकाईयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक पूंजीनिवेश से इकाईयों की स्थापना हेतु ऋण स्वीकृत करा कर 4 प्रतिशत के अतिरिक्त ब्याज की धनराशि उपादान के रूप में जिला योजना से वहन की जाती है।

योजना का कार्यक्षेत्रः– उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम के उपबन्धों के अधीन समय–समय पर शासन द्वारा परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र परिभाषित तथा अखिल भारतीय ग्रामोद्योग आयोग/रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा समय–समय पर परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र।

पात्र उद्यमीः– योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्न वरीयता क्रम में उद्यमियों को लाभान्वित किया जाता है।

1. शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों/जिनकी सरकारी सेवा की आयु समाप्त हो गया है।
2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पालिटेक्निक की उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें।
3. ट्राइसेम तथा शासन के अन्य योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्ति।
4. स्वरोजगार में रूचि रखने वाली महिलाएं एवं पुरुष।
5. व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को।

लाभार्थियों का चयनः– उत्तर प्रदेश खाती तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा समय–समय पर गठित चयन समिति एवं जिला स्तर पर अन्य राज पुरोनिधानित योजना हेतु गठित समिति द्वारा चयनित उद्यमी इस योजना के पात्र होंगे।

लाभार्थियों के चयन का मापदण्डः– योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन में निम्न मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं––

1. लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
2. स्थानीय कच्चे माल की उपलब्धता का आकलन करके चयनित व्यक्तियों के लिए ग्रामोद्योग इकाईयों का चयन।

वित्त पोषणः– इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में कार्यरत उत्तर–प्रदेश सरकारी कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास बैंक एवं व्यवसायिक बैंक जिनकी सेवा क्षेत्र में सम्बन्धित गॉव स्थित हो उसमें ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना अन्तर्गतः– इस योजना के अन्तर्गत बैंक से ऋण स्वीकृत होने पर ब्याज उपादान किये जाने का पात्रता प्रमाण–पत्र जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण भी सम्बन्धित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी द्वारा किया जाता है।

इस योजना के अन्तर्गत खादी आयोग से अनुमन्य योजनाएं नाबार्ड अनुमोदित प्रोजेक्टर तथा स्थानीय उपलब्ध के अनुरूप ग्रामोद्योग इकाई को 5 लाख तक लागत की प्रोजेक्ट हेतु ऋण अनुमन्य है।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की प्रगति वर्षवार

वर्ष 2006–07 में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत इकाई संख्या 5500 के सापेक्ष पूर्ति 4333, पूंजीनिवेश 11000.00 के विपक्ष 7697,76 रोजगार 38000 के विपक्ष 29822 की पूर्ति की गई तथा वित्तीय प्रगति 1221.66 के विपक्ष 1102.75 का व्यय किया गया बाकी धनराशि समर्पित। रोजगार 29822 के सापेक्ष अनुसूचित जाति 2187 एवं अनुसूचित जनजाति में 215 लोगों को रोजागर प्राप्त हुआ।

वर्ष 2007–08 में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत इकाई संख्या 6000 के सापेक्ष पूर्ति 5439, पूंजीनिवेश 12000.00 के विपक्ष 9381.08 रोजगार 48000 के विपक्ष 40613 की पूर्ति की गई तथा वित्तीय प्रगति 1131.00 के विपक्ष 1111.50 का व्यय किया गया बाकी धनराशि समर्पित। रोजगार 48000 के सापेक्ष अनुसूचित जाति 3200 एवं अनुसूचित जनजाति में 280 लोगों को रोजागर प्राप्त हुआ।

वर्ष 2008–09 में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत इकाई संख्या 6500 के सापेक्ष पूर्ति 6030, पूंजीनिवेश 13000.00 के विपक्ष 12470.43 रोजगार 52000 के विपक्ष 51709 की पूर्ति की गई तथा वित्तीय प्रगति 1131.00 के विपक्ष 1085.00 का व्यय किया गया बाकी धनराशि समर्पित। रोजगार 52000 के सापेक्ष अनुसूचित जाति 36000 एवं अनुसूचित जनजाति में 290 लोगों को रोजागर प्राप्त हुआ।

वर्ष 2009–10 में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत प्रगति 15 मार्च 2010 तक इकाई संख्या 6500 के सापेक्ष पूर्ति 5969, पूंजीनिवेश 13000.00 के विपक्ष 13277.26 रोजगार 52000 के विपक्ष 53561 की पूर्ति की गई तथा वित्तीय प्रगति 1112.00 के विपक्ष 8099.23 का व्यय किया गया। रोजगार 52000 के सापेक्ष अनुसूचित जाति 7464 एवं अनुसूचित जनजाति में 273 लोगों को रोजागर प्राप्त हुआ।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com